कार्यालय पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय,
पुलिस आयुक्तालय, जयपुर

क्रमांकः–14444 दिनांकः–04.12.2025

–ःप्रेस नोटः–

पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर के विज्ञप्ति संख्या 1360 दिनांक 09.04.2025 एवं संशोधित विज्ञप्ति संख्या 1535 दिनांक 26.04.2025 के तहत पुलिस आयुक्तालय, जयपुर की कानिस्टेबल भर्ती 2025, में कानिस्टेबल के कुल 704 (कानिस्टेबल सामान्य–674, कानिस्टेबल चालक–30) पदों हेतु लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मापतौल परीक्षा दिनांक 08.12.2025 से 11.12.2025 को प्रातः 06:00 बजे से श्री प्रताप यादव चित्रकूट स्टेडियम, चित्रकूट नगर, जयपुर में आयोजित की जायेगी। उक्त शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी अपना ई–प्रवेश पत्र राजस्थान पुलिस की वेब साईट www.police.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते है।

शारीरिक मापतौल एवं दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी प्रवेश पत्र एवं विज्ञप्ति के बिन्दू संख्या 16 में वर्णितानुसार मूल दस्तावेज मय स्वयं प्रमाणित छायाप्रति, वैद्य फोटो पहचान पत्र, 02 फोटो तथा राजकीय चिकित्सक द्वारा जारी स्वस्थ प्रमाण पत्र एवं ऑन लाईन भरे गये आवेदन पत्र मय प्रवेश पत्र की प्रति सहित प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित तिथि को श्री प्रताप यादव चित्रकूट स्टेडियम, चित्रकूट नगर, जयपुर में शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा हेतु उपस्थित होवें।

शारीरिक दक्षता एवं मापतौल परीक्षा में उपस्थित होने संबंधी प्रवेश पत्र एवं अन्य जानकारी राजस्थान पुलिस की वेब साईट www.police.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है तथा विस्तृत विवरण प्रवेश पत्र पर अंकित है।

पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी दिशा –निर्देशों की पालना की जावें:–

1. ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन करने की दिनांक से पूर्व के वित्तिय वर्ष (अर्थात् 2024–25) की आय के आधार पर ऑनलाईन जारी आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक 28046 दिनांक 06.05.2022 द्वारा निर्धारित शपथ पत्र अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करने के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को अधिकतम 03 वर्ष के लिये वैद्य माना जायेगा।
3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के दिशा निर्देश दिनांक 09.09.2015 के बिन्दु संख्या 04 में वर्णितानुसार एससी/एसटी अभ्यर्थियों के लिये जारी प्रमाण–पत्र जीवन पर्यन्त होगा, जबकि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये प्रमाण पत्र क्रीमिलेयर में नही होने संबंधी तथ्य 03 वर्ष के लिये विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।

(राजेश कुमार काँवत)
पुलिस उपायुक्त
मुख्यालय
पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।

प्रतिलिपितः–निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, राजस्था, जयपुर।
2. पुलिस आयुक्त, जयपुर।
3. विशेष पुलिस आयुक्त (ऑपरेशन), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
4. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
5. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
7. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।

8. समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गण मय जीआरपी, अजमेर / जोधपुर।
9. समस्त अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
10. समस्त सहायक पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
11. समस्त थानाधिकारी, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
12. संचित निरीक्षक, प्रथम, पुलिस लाईन, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को उक्त प्रेस– नोट की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि रिजर्व पुलिस लाईन, जयपुर के नोटिस बोर्ड पर आज ही चस्पा करवाकर पालना से इस कार्यालय को अवगत करावें।
13. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को उक्त प्रेस–नोट छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि समस्त प्रादेशिक / स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करवाकर पालना से इस कार्यालय को अवगत करावें।
14. प्रभारी कम्प्यूटर सैल, पुलिस मुख्यालय राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त प्रेस–नोट को राजस्थान पुलिस की वेबसाईट पर अपलोड कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

पुलिस उपायुक्त
मुख्यालय
पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।